(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

ासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00101

जस्व वाद सं.– 54/2020

1. मांगेलाल पुत्र मातादीन उम्र 65 साल जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं ....वादी

बनाम

1. मंजू यादव पत्नी महेश कुमार उम्र 38 साल जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
2. सुमनलता पत्नी राजेन्द्र सिंह उम्र 42 साल जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
3. हरिराम पुत्र नोबतराम उम्र 75 साल जाति ब्रहामण निवासी निहालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
4. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक
5. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान। ....प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन

<u>–::निर्णय::–</u>

दिनांक :–

(1). वादी ने वादपत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 265 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 1047 रकबा 1.08 है., ख.नं. 1038 रकबा 0.30 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है. में वादी का 1/3 हिस्सा व ग्राम मेघपुर तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 116 जमाबंदी संवत 20[illegible] ख.नं. 609 रकबा 0.57 है., में वादी का 1/3 हिस्सा व ग्राम [illegible] में स्थित भूमि खाता संख्या 224 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 112 रकबा [illegible] ख.नं. 113 रकबा 0.16 है., ख.नं. 115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 77 रकबा 0.53 है. कुल किता 4 कुल रकबा [illegible] है. में वादी का 1/3 हिस्सा भूमि का वादी के हक में अलग से लगान कायम [illegible] खाता विभाजन का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट ने इकबालिया जवाब

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

दावा मय प्रतिदावा एवं प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया है। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.08.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 260 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2545 दिनांक 10.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि हाल खाता संख्या 265 व वाके ग्राम निहालोठ के खाता संख्या 224 तथा वाके ग्राम मेघपुर के खाता संख्या 116 में वादी व प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(2). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में ग्राम रायपुर अहीरान की नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता सं. 265, ग्राम मेघपुर की नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता सं. 166, ग्राम निहालोठ की नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता सं. 224 पेश किये गये।

(3). प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 224 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 112 रकबा 0.47 है., ख.नं. 113 रकबा 0.16 है., ख.नं. 115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 77 रकबा 0.53 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है. में प्रतिदावाकर्ता संख्या 01 व 02 के बराबर दर्ज 1/3 हिस्से की बजाय प्रतिवादी संख्या 01 को 0.1566 है. एवं प्रतिवादी संख्या 02 को 0.34 है. का खातेदार घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने साक्ष्य में नकल पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2011 व नकल नामान्तरण संख्या 317 दिनांक 24.05.2011 पेश किये हैं।

(4). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात ... अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी ने वाद पत्र के अनुतोष को ... प्र...वाकर्ता संख्या 01 व 02 ने प्रतिदावा के अनुतोष को सुसंगत ... साबित किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से विभाजन प्रस्ताव ... आपति पेश की गई, वकील वादी द्वारा आपति का जवाब पेश किया गया। बहस सु... गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । विभाजन प्रस्ताव हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार ही तैयार किये गये है। अतः न्यायाहित में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश आपति खारिज की जाती है। अतः न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

–: आदेश :–

- न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके (1) ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 224 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 112 रकबा 0.47 है., ख.नं. 113 रकबा 0.16 है. ख.नं.115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 77 रकबा 0.53 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है में प्रतिदावाकर्ता संख्या 01 व 02 के बराबर दर्ज 1/3 हिस्से की बजाय प्रतिवादी संख्या 01 को 0.1566 है. एवं प्रतिवादी संख्या 02 को 0.34 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (2) वाके **ग्राम रायपुर अहीरान** तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 265 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 1047 रकबा 1.08 है., ख.नं. 1088 रकबा 0.30 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है. व **ग्राम मेघपुर** तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 116 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 609 रकबा 0.57 है. एवं **ग्राम निहालोठ** तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 224 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 112 रकबा 0.47 है., ख.नं. 113 रकबा 0.16 है., ख.नं. 115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 77 रकबा 0.53 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है. का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 2 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–3" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–3" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 17/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी– सुमन देवी II, आरएएस
कदमा नम्बर :– 54 / 2020 सीसीएमएस नम्बर – 2020 / ....

मांगेलाल बनाम मंजू यादव आदि

दावा – खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण संख्या 01
02 की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 03 की अनुपस्थिति में इस
ाद को **श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश
होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः
" न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः
वाके (1) ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 224 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.
नं. 112 रकबा 0.47 है., ख.नं. 113 रकबा 0.16 है.,ख.नं.115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 11 रकबा 0.53 है. कुल
किता 4 कुल रकबा 1.49 है. में प्रतिदावाकर्ता संख्या 01 व 02 के बराबर दर्ज 1/3 हिस्से की कजाय
प्रतिवादी संख्या 01 को 0.1566 है. एवं प्रतिवादी संख्या 02 को 0.34 है. का खातेदार काश्तकार घोषित
किया जाता है। (2) वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 265 जमाबंदी
संवत 2075–78 के ख.नं. 1047 रकबा 1.08 है., ख.नं. 1038 रकबा 0.30 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.38
है. व ग्राम मेघपुर तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 116 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 809
रकबा 0.57 है. एवं ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना में स्थित भूमि खाता संख्या 224 जमाबंदी संवत
2075–78 के ख.नं. 112 रकबा 0.47 है., ख.नं. 113 रकबा 0.16 है., ख.नं. 115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 11
रकबा 0.53 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है. का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 2 का खाता एवं
लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत
ब–3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–3" के अलग–अलग
खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।
विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–3" इस निर्णय व डिक्री
का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो
तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया
जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। ... की मुद्रा लगाकर
यह आज तारीख ......17/7/25...... को मेरे हस्ताक्षर से ...
दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझु.)